रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 27, 1981/भाद्र 5, 1903

No. 290] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 1981/BHADRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### श्रम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

**सा.का.नि. 496(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1981 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 68 अ में :—

(1) उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) में—"लकवा या कैंसर" शब्दों के स्थान पर "लकवा, कैंसर, मानसिक असन्तुलन या हृदय रोग" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उप-पैरा (2) के खंड (ख) के अन्त में निम्न लिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक अथवा मानसिक असंतुलन या हृदय रोग की दशा में कोई विशेषज्ञ प्रमाणित करे कि सदस्य क्षयरोग, कुष्ठ रोग, लकवा, कैंसर, मानसिक असंतुलन या हृदय रोग से पीड़ित है ।"

(3) उप-पैरा (3) के खंड (ख) में "लकवा या कैंसर" शब्दों के स्थान पर "लकवा, कैंसर, मानसिक असंतुलन या हृदय रोग" शब्द रखे जायेंगे ;

(4) उप-पैरा (4) में "आधारिक मजदूरी" शब्दों के पश्चात् "और मंहगाई भत्ता" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(5) उप-पैरा 5 को हटा दिया जाएगा ; और

(6) उप-पैरा (6) में "आयुक्त" शब्द के पश्चात् "या ऐसे आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी" शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा ।

3. पैरा 68 (ट)

(1) विद्यमान उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, सदस्य से आवेदन प्राप्त करने पर उसके भविष्य निधि खाते में से, अप्रतिदेय अग्रिम का, संदाय उस पर ब्याज सहित प्राधिकृत कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण की तारीख को निधि में उसके नाम जमा अभिदाय के उसके अंश के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह संदाय उसके अपने विवाह उसकी पुत्री, पुत्र, बहन या भाई के विवाह या उसके पुत्र या पुत्री की मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए हो सकता है।"

(2) उप-पैरा (2) के खण्ड (ख) में "उसका कुल अभिदाय" शब्दों के स्थान पर "अभिदाय का उसका अपना अंश" शब्द रखे जायेंगे ;

(3) विद्यमान उप-पैरा (4) और उसके नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा :—

"(4) यदि आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अधीन मंजूर किए अग्रिम का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था या अग्रिम की शर्तें युक्तियुक्त समय के भीतर पूरी नहीं की गई हैं, तो आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी या शोध्य रकम को, उस पर उस ब्याज की दर से, जो स्कीम के पैरा 60 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से अवधारित की जाए, अधिक प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की दर से उस पर शास्तिक ब्याज सहित, इतनी किस्तों में जितनी आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी अवधारित करे, सदस्य की मजदूरी से वसूल करने के उपाय करेगा। ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, नियोजक को निदेश दे सकेगा कि वह सदस्य की मजदूरी से ऐसी किस्त की कटौती कर ले, और नियोजक ऐसा निदेश मिलने पर तदनुसार कटौती करेगा। इस प्रकार काटी गई रकम, नियोजक द्वारा आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो निदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए भेज दी जाएगी। प्रतिदाय की गई रकम, शास्तिक ब्याज को छोड़कर सदस्य के जमा खाते में जमा कर दी जाएगी और ब्याज की रकम ब्याज निलम्बन खाते में जमा कर दी जाएगी।"

4. पैरा 68 (ठ) में :—

(1) उप-पैरा (1) में "आयुक्त" शब्द के पश्चात् "या आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी" शब्द स्थापित किए जाएंगे।

5. पैरा 69 में :—

(1) उप-पैरा (1) के खंड में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दोमास" शब्द रखे जाएंगे।

(2) उप-पैरा (2) के खण्ड (ख) में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो मास" शब्द रखे जाएंगे।

(3) उप-पैरा (2) के खंड (ख) के अधीन परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

[सं. एस. 70012/2/81-पी. एफ. 2]

एन. बी. बावला, उप-सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1981

**G.S.R. 496(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Schemes further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 68J :—

(1) in clause (c) of sub-paragraph (1), for the words, 'Paralysis or Cancer' the words, 'paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment', shall be substituted;

(2) in clause (b) of sub-paragraph (2), the following words shall be added at the end, namely : 'or a registered medical practitioner, or in the case of mental derangement or heart ailment a specialist, certifies that the member is suffering from T.B., leprosy, paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment.'

(3) in clause (b) of sub-paragraph (3) for the words 'paralysis or cancer' the words 'paralysis, cancer, mental derangement or heart ailment' shall be substituted;

(4) in sub-paragraph (4) after the words 'basic wages' the words 'and dearness allowance' shall be inserted.

(5) Sub-paragraph 5 shall be deleted; and

(6) in sub-paragraph (6) after the word 'Commissioner' the words, 'or, where so authorised by the Commissioner any officer subordinate to him' shall be inserted;

3. In paragraph 68K:—

(1) for the existing sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted; namely :

'(1) The Commissioner or where so authorised by the Commissioner, an officer subordinate to him may on an application from a member, authorise payment to him or her of a non-refundable advance from his or her provident fund account not exceeding fifty per cent of his or her own share of contribution with interest thereon, standing to his or her credit in the Fund, on the date of such authorisation, for his or her own marriage the marriage of his or her daughter, son, sister or brother or for the post-matriculation education of his or her son or daughter.'

(2) In clause (b) of sub-paragraph (2), for the words 'his total contributions' the words 'his own share of contributions' shall be substituted;

(3) for the existing sub-paragraph (4) and the proviso thereunder, the following sub-paragraph shall be substituted:—

'(4) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner and officer subordinate to him, is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted, or that the conditions of advance have not been fulfilled within a reasonable time, the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner an officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of 2 per cent per annum above the rate of interest, which may be determined by the Central Government in consultation with the Central Board under paragraph 60 of the scheme from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, an officer subordinate to him may determine. For the purpose of such recovery, the Commissioner or where so authorised by the Commissioner an officer subordinate to him may direct the employer to deduct each such instalment from the wages of the member and on the receipt of such direction the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted shall be remitted by the employer to the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, an officer subordinate to him, within such time and in such manner as may be specified in this direction. The amount refunded excluding the penal interest shall be credited to the account of the member in the Fund, and the amount of penal interest shall be credited to the Interest Suspense Account.'

4. In paragraph 68L:—

(1) in sub-paragraph (1), after the words 'The Commissioner' the words 'or where so authorised by the Commissioner, any Officer subordinate to him', shall be inserted.

5. In paragraph 69:—

(1) in clause (c) of sub-paragraph (1) for the words 'Six months', the words, 'two months' shall be substituted;

(2) in clause (b) of sub-paragraph (2) for the words 'six months' the words 'two months' shall be substituted;

(3) the proviso under clause (b) of sub-paragraph (2) shall be deleted.

[No. S. 70012/2/81-PF-II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981